

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत : सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर
जिला हनुमानगढ




शेर सिंह

बनाम

सुनीता आदि

किस्म मुकदमा : 212 आर.टी. एक्ट

प्रकरण संख्या 28 / 2024

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख फर्द अहकाम की हुक्म की तामील जारी हुआ
12.02.2024	<p>यह प्रार्थना पत्र प्रार्थी की ओर से जरिये अधिवक्ता राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 212 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया । प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जावे ।</p> <p>अप्रार्थी संख्या-01 की ओर से श्री रविन्द्र गोदारा अधिवक्ता ने वकालतनामा व दस्तावेज पेश किये। उभयपक्ष बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थना पत्र के संलग्न दस्तावेजों व शपथ पत्र के आधार पर प्रथम दृष्ट्या प्रकरण प्रार्थी के पक्ष में प्रतीत होता है।</p> <p>अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज व शपथ पत्र के आधार पर इस आशय की अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि अप्रार्थी संख्या-1 आगामी तारीख पेशी तक रोही मौजा भूकरका तहसील नोहर की जमाबन्दी संवत् 2070-2073 के खाता संख्या 288/448 की कुल तादादी 12.6210 है0 वादभूमि के रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखे। उपरोक्त स्थगन मंजूरशुदा रास्ता व मंजूरशुदा खाला पर लागू नहीं होगा। वकील प्रार्थी रजिस्टर्ड सम्मन पेश करे। पत्रावली वास्ते तलबी अप्रार्थीगण दिनांक : 12.03.2024 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">  सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर (हनुमानगढ) </p>	
<p>12/3 24</p> <p>19 24</p>	<p>वकील प्रार्थी के निवेदन पर पत्रावली पेश की गई वकील प्रार्थी के निवेदन किमती के सम-परिवारन का आणस सं 212/1/2024 का नाम है 28/1/24 को पेश हो।</p> <p>पत्रावली पेश हुई की प्रार्थी की ओ. साहब... 28/1/24 को पेश हो।</p> <p>पत्रावली दि. 28/1/24 को पेश हो।</p> <p>वकील प्रार्थी के निवेदन पर पत्रावली पेश की गई वकील प्रार्थी के निवेदन किमती के सम-परिवारन का आणस सं 212/1/2024 का नाम है 28/1/24 को पेश हो।</p> <p>पुनर्निर्माण सही चयाना चाहते हैं। पत्रावली समस्त स्वम के द्वारा अपना पुनर्निर्माण सही चयाना के कारण प्रार्थी किमती के सम-परिवारन का आणस सं</p> <p style="text-align: right;">   उपखण्ड अधिकारी नोहर </p>	<p>21/2/24</p> <p>पत्रावली</p> <p>12/3/24</p>